

(vii) ऐसी किसी व्यवस्था का ब्यौरा, जो इसकी नीति के प्रतिपादन तथा तत्संबंधी कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ अथवा उनके प्रतिनिधित्व द्वारा परामर्श करने हेतु विद्यमान हो।

एनआईयूए के कार्यों की प्रकृति ऐसी है कि इसे एनआईयूए की नीतियां तैयार करने अथवा तत्संबंधी कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ चर्चा करने अथवा जनता के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।